राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 20.06.2020

अधिसूचना

कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण आमजन को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के साथ–साथ वित्तीय समस्याओं का भी सामना करना पड रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने से उत्पन्न स्थिति के परिपेक्ष्य में कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से बचाव, रोकथाम, इसके संक्रमण की श्रृंखला को तोडने, जांच, उपचार तथा इसके संक्रमण से होने वाली मृत्युओं को न्यूनतम किये जाने हेतु व्यापक लोकहित में राज्य सरकार द्वारा सभी सम्भव प्रयास निरन्तर किये जा रहे है तथा राज्य सरकार इस हेतु प्रारम्भ से ही प्रतिबद्व है। प्रदेश में 20 राजकीय चिकित्सा संस्थानों में कोविड–19 की जांच निःशुल्क की जा रही है तथा NABL मान्यता प्राप्त (accredited) एवं आईसीएमआर से अनुमोदित 4 निजी जांच प्रयोगशालाओं में कोविड–19 की जांच की जा रही है।

आईसीएमआर के परिपत्र दिनांक 17 मार्च, 2020 द्वारा निजी जांच प्रयोगशालाओं में कोविड–19 की जांच की उच्चतम सीमा 4500/– रूपए प्रति जांच निर्धारित की गई थी। तत्पश्चात देश में ही आरटी–पीसीआर टेस्टिंग किट के विनिर्माण एवं सहज उपलब्धता तथा आमजन को कम कीमतों पर सहज एवं सुलभ जांच सुविधा उपलब्ध कराने को दृष्टिगत रखते हुए निजी प्रयोगाशालाओं में कोविड–19 की जांच दरों का पुनर्निर्धारण किया जाना आवश्यक है।

उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज, निजी मेडिकल कॉलेजों, निजी अस्पतालों, निजी जांच प्रयोगशालाओं के प्रतिनिधियों एवं विषय–विशेषज्ञों के साथ विचार–विमर्श उपरान्त, आरटी–पीसीआर किट एवं अन्य उपभोग्य (Consumables) की दरों तथा अन्य राज्यों द्वारा कोविड–19 की जांच हेतु निर्धारित की गई दरों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य में NABL मान्यता प्राप्त (accredited) एवं आईसीएमआर से कोविड–19 जांच हेतु अनुमोदित निजी जांच प्रयोगशालाओं में कोविड–19 की आरटी–पीसीआर जांच की अधिकतम दर 2200/– रूपए (जीएसटी/सभी कर सहित) निर्धारित की जाती है।

राज्य में NABL मान्यता प्राप्त (accredited) एवं आईसीएमआर से कोविड–19 जांच हेतु अनुमोदित निजी प्रयोगशालाओं द्वारा कोविड–19 की जांच निम्नांकित शर्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए की जावेगीः–

1. निजी जांच प्रयोगशालाओं द्वारा कोविड–19 की आरटी–पीसीआर जांच, इस संबंध में भारत सरकार एवं आईसीएमआर द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रोटोकाल की पालना करते हुए की जावेंगी।
2. कोविड–19 की जांच हेतु सेम्पल किसी भी परिस्थिति में ओपीडी में नहीं लिये जावे।
3. सेम्पल लेते समय ही संबंधित व्यक्ति का नाम, पूर्ण पता, वास्तविक मोबाईल नम्बर की सम्पूर्ण सूचना आरटीपीसीआर ऐप पर अपलोड करते हुए संधारित की जावे एवं उक्त सूचना गोपनीय रखी जावे।
4. निजी जांच प्रयोगशालाओं द्वारा कोविड–19 की जांच का परिणाम राज्य सरकार एवं आईसीएमआर के साथ वास्तविक समय आधार (Real time basis) पर आईसीएमआर पोर्टल पर साझा करते हुए आरटीपीसीआर ऐप पर भी तत्काल अपलोड किया जावे।
5. जांच के परिणाम की सूचना जांच का परिणाम आने के बाद संबंधित मरीज को तत्काल दी जावे।
6. जांच में मरीज के कोविड–19 से संक्रमित पाये जाने पर इसकी सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल दी जावे।

20/06/2020

7. निजी जांच प्रयोगशालाओं द्वारा आरटी–पीसीआर मशीन से उत्पन्न समस्त डाटा एवं ग्राफ सुरक्षित रखे जावे ताकि राज्य सरकार द्वारा आवश्यक होने पर भविष्य में इसका सत्यापन/जांच की जा सके।
8. निजी जांच प्रयोगशालाओं के प्रबन्धन द्वारा जांच की उक्त निर्धारित दरें सहज दृश्य स्थान पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जावे।
9. निजी जांच प्रयोगशालाओं के प्रबन्धन द्वारा एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जावे तथा इसकी सूचना संबंधित कलक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दी जावे।
10. ऐसे निजी प्रयोगशालाऐं जो निजी अस्पतालों में स्थित है, वहां कोविड–19 की जांच उपरान्त मरीज के कोविड–19 से संक्रमित पाये जाने पर ऐसे मरीजों का समुचित उपचार संबंधित अस्तपाल में ही किया जावे। ऐसे मरीजों को सरकारी अस्पतालों में रेफर नहीं किया जावे।
11. प्रदेश में कोविड–19 की जांच का कार्य केवल राजस्थान राज्य के लिए आईसीएमआर द्वारा अनुमोदित निजी प्रयोगशालाओं द्वारा किया जा सकेगा। अन्य राज्यों हेतु आईसीएमआर द्वारा अनुमोदित निजी प्रयोगशालाऐं द्वारा कोविड–19 जांच प्रदेश में नहीं की जावेंगी।

कोविड–19 की आरटी–पीसीआर जांच की उक्त निर्धारित दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

उक्त आदेश की कडाई से पालना सुनिश्चित की जावे। उक्त आदेश की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 की धारा 5 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

20/06/2020

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
7. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी, जयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राज. को प्रेषित कर निवेदन है कि उनके जिले में स्थित निजी NABL accredited एवं आईसीएमआर से कोविड–19 जांच हेतु अनुमोदित निजी जांच प्रयोगशालाओं पर निरन्तर निगरानी रखते हुए उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
10. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
11. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज.
12. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राज.
13. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज. को प्रेषित कर लेख है कि उनके जिले में स्थित निजी NABL accredited एवं आईसीएमआर से कोविड–19 जांच हेतु अनुमोदित निजी जांच प्रयोगशालाओं पर निरन्तर निगरानी रखते हुए उक्त निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित करावें।
14. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी मेडिकल कालेज, जयपुर/जेएनयू मेडिकल कॉलेज, जयपुर
15. प्रबंधक, संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल अस्पताल, जयपुर/लाल पैथ लैब्स, जयपुर

(संजय कुमार) 20.6.2020
शासन उप सचिव